

24.05.2024 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री अरविंद वर्मा उपस्थित आये। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की मृत्यु आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 06.06.2024 को पेश हो।

रीना नेगी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल